Gram – "AYUSH"
e - mail: nriashrd-gwalior@gov.in
: nriashrd.gwalior@gmail.com

Office: 0751 - 2323307
Fax: 0751 - 2430317

क्षेत्रीय आयुर्वेदीय औषधि विकास अनुसंधान संस्थान

(केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन)
आमखो, ग्वालियर - ४७४००९ (म. प्र.)

Regional Ayurveda Research Institute for Drug Development
(Under Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, Ministry of "AYUSH", Govt. of India)
Aamkho, Gwalior - 474009 (M. P.)

संदर्भ क्रं : F.No. 2-10/2019-20/RARIDD-Gwl./Admn./ दिनाँक :07/08/2019

विज्ञापन संख्या: 33/2019-20

निविदा सूचना

स्थानीय यात्रा हेतु किराये पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु

केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के निर्देशों के तहत क्षेत्रीय आयुर्वेदीय औषधि विकास अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर द्वारा संचालित आरसीएच कार्यक्रम के तहत ग्वालियर के आसपास के गांवों में स्वास्थ्य शिविर यात्रा के लिए 01 वाहन (टवेरा/बोलेरो या समतुल्य 7 सीटर एसी/नॉन-एसी) के लिए नीचे बताए गए नियमों और शर्तों के अनुसार सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। क्षेत्रीय आयुर्वेदीय औषधि विकास अनुसंधान संस्थान, आमखो, ग्वालियर से निविदाएं रु.300 (रु. तीन सौ) के भुगतान पर प्राप्त की जा सकती है। निविदा के विस्तृत नियम एवं शर्तें परिषद् की वेबसाइट www.ccras.nic.in तथा www.eprocurement.gov.in पर देखी एवं डाउनलोड की जा सकती है।

प्रभारी सहायक निदेशक

<u>स्थानीय यात्रा हेतु किराये पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु</u>

<u>नियम और शर्तें</u>

1. निविदाकारों को तकनीकी बोली **अनुलग्नक - I** के अनुसार दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करनी होगी और वित्तीय बोली **अनुलग्नक - II** के अनुसार दरें उद्घृत करनी होगी। तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली को दो अलग- अलग लिफाफों में सीलबंद कर तीसरे बडे लिफाफे में सीलबंद कर प्रस्तुत करनी होगी। निविदाकार सभी नियम और शर्तें सावधानी से पढ़ ले। निविदाएं डाउनलोड करने वाले निविदाकारों को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से आर.ए.आर.आई.डी.डी., ग्वालियर के पक्ष में रु. 300 के डी.डी. को तकनीकी बोली के साथ जमा करना होगा।
2. **महत्वपूर्ण तिथियाँ**
   - निविदा प्राप्त करने की तिथि: **08.08.2019** से **29.08.2019** (**10.30** से **4.00** बजे तक)
   - निविदा जमा करने की अंतिम तिथि: **30.08.2019** अपराह्न **1.00** बजे तक
   - निविदा खोलने की तिथि: **30.08. 2019** अपराह्न **3.00** बजे
3. निविदाकारों के प्रतिनिधि निविदा खोलने की नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित रहना सुनिश्चित करें।
4. फर्म पंजीकृत होना चाहिए और उसके पास वैध जीएसटी नंबर होना चाहिए। तकनीकी बोली (कोटेशन) के साथ फर्म को पंजीकरण संख्या, जीएसटी नंबर, टैक्सी परमिट एवं वाहनों के बीमा की प्रति जमा करनी होगी।
5. निविदाएं निविदा खोलने की तारीख से 90 दिनों तक वैध होना चाहिए।
6. प्रदत्त वाहन पांच वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए और ए1 स्थिति में होना चाहिए।
7. इस संस्थान के आरसीएच कार्यक्रम के तहत ग्वालियर के आसपास के गांवों में स्वास्थ्य शिविर यात्रा के लिए सप्ताह में 5 दिन होगी। वाहन की आवश्यकता माह में सामान्यत: 20 कार्य दिवस (05 दिवस कार्य दिवस प्रति सप्ताह) की होगी एवं औसतन प्रति सप्ताह वाहन लगभग 350 कि.मी. चलेगा। कार्य की अवधि सामान्यत: 8 घण्टे होगी।
8. वाहन प्रात: 08:30 बजे संस्थान में वाहन चालक के साथ उपलब्ध कराना होगा।
9. यह अनुबंध शुरू में 12 महीने/ परियोजना की अवधि जो पहले होगा के लिए है। कार्य की अवधि को उसी दर, नियमों और शर्तों के तहत और आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया/घटाया जा सकता है।
10. वाहनों की संख्या एवं अवधि आवश्यकतानुसार कम या अधिक की जा सकती है।
11. किसी भी आवश्यक कार्य की स्थिति में, वाहन को छुट्टियों में भी प्रदान करना होगा जिसके लिए अग्रिम जानकारी दी जाएगी।
12. फर्म को अपने वाहन की मरम्मत की व्यवस्था स्वयं करनी होगी और मरम्मत के दौरान फर्म को एक दूसरा वाहन और ड्राइवर उपलब्ध कराना होगा ताकि संस्थान के कार्य में कोई असुविधा / व्यवधान न हो।

निविदाकार का हस्ताक्षर

13. संबंधित अधिकारियों द्वारा विधिवत रूप से ड्यूटी स्लिप / लॉग शीट द्वारा समर्थित पूर्व-प्राप्त बिल प्रस्तुत करने पर मासिक आधार पर भुगतान (चेक द्वारा) किया जाएगा।
14. आयकर नियमों के अनुसार टीडीएस काटा जाएगा।
15. स्वीकृत दर के अलावा अन्य कोई प्रभार (चालान, पैनल्टी इत्यादि) संस्थान द्वारा देय नहीं होगा।
16. यह संस्थान वाहन या चालक को किसी भी क्षति या दुर्घटना आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
17. यह संस्थान बिना किसी कारण बताए सेवाओं को कभी भी समाप्त करने का अधिकार रखता है। इसके अलावा, निविदाकार एक महीने की पूर्व सूचना के बिना अपनी सेवाएं वापस नहीं ले सकता।
18. चालक के पास वाहन के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
19. सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए, चालक को किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं होना चाहिए जिससे काम में रुकावट हो सकती है।
20. सफल निविदाकारों को अनुबंध समझौता (रु 100 गैर-न्यायिक स्टैंप पेपर) पर हस्ताक्षर करना होगा जिसमें सभी नियम और शर्तें होगी।
21. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार संस्थान प्रभारी के पास सुरक्षित है।

प्रभारी सहायक निदेशक

निविदाकार का हस्ताक्षर

<u>अनुलग्नक - I</u>

<u>स्थानीय यात्रा हेतु किराये पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु</u>

<u>तकनीकी बोली</u>

संस्थान को वाहन किराये पर उपलब्ध कराने संबंधी निर्धारित संलग्न नियम व शर्तो का अध्ययन कर लिया गया है एवं उक्त शर्तें मुझे/हमें स्वीकार हैं। नियम व शर्तो के आधार पर हमारा प्रस्ताव एवं वाहन की जानकारी निम्नानुसार हैं-

1. वाहन का मेक/मॉडल ....
2. वाहन पंजीयन क्रमांक ....माह/वर्ष..............................
3. वाहन का टैक्सी परमिट है अथवा नहीं...
4. वाहन द्वारा दिनांक.....................................तक की गई यात्रा..............................कि.मी.
5. वाहन स्वामी का नाम एवं पता ....
   (जिसके नाम से पंजीकृत है)...
6. सेन्ट्रल एक्साईज विभाग का पंजीयन क्रमांक ....
7. एजेन्सी का सर्विस टैक्स हेतु पंजीयन क्रमांक..
8. निविदा शुल्क राशि रूपये 300/- नगद रसीद क्रमांक एवं दिनांक................................ अथवा
   राष्ट्रीकृत बैंक का नाम..शाखा....................................
   डी.डी. क्रमांक एवं दिनांक............................
9. सभी कागजात की प्रमाणित प्रति संलग्न की है: ....

अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर और सील

अनुलग्नक - II

स्थानीय यात्रा हेतु किराये पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु

वित्तीय बोली

विवरण (Description)		**मासिक दरें (रु) (ईंधन सहित)**
ग्वालियर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय यात्रा हेतु	लगभग 350 किमी साप्ताहिक (5 दिवसीय सप्ताह) माह में सामान्यत: 20 कार्य दिवस हेतु	
	जीएसटी **GST (%):**	

अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर और सील

निविदाकार का हस्ताक्षर